डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 07/2026-27 के मुखपृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों के पृष्ठ 1, 2, 3, 299, 300, 301 और 302 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोचीन (सीओके) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2026 - 31.03.2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 12 अक्टूबर, 2026

तृतीय तल,
उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110003

हितधारकों की टिप्पणियाँ

कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीआईए) कोचीन, 2019 और 2021 के ऐरा (संशोधन) अधिनियमों के साथ पठित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (ऐरा अधिनियम) की धारा 2(आई) के अनुसार इसकी वार्षिक यात्री क्षमता (थ्रू-पुट) के आधार पर प्रमुख हवाईअड्डा है। इस हवाई अड्डे से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान वर्ष में **11.44 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए)** का आवागमन हुआ और हवाई यातायात में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जो भारत के नागर विमानन नेटवर्क में इसके कार्यनीतिक महत्व की पुष्टि करता है।

सीआईए को भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत विकसित होने वाला प्रथम हवाईअड्डा होने का गौरव प्राप्त है। इसमें केरलम सरकार, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और 16,000 से अधिक व्यक्तिगत निवेशकों का संयुक्त योगदान है, जिनमें मुख्य रूप से अनिवासी केरलमवासी (एनआरके) शामिल हैं। इस हवाईअड्डे को इसके वर्तमान स्वरूप में, क्षेत्र में बढ़ती वैमानिक मांग के कारण कोचीन स्थित नौसेना हवाईअड्डे से संचालित होने वाले पूर्ववर्ती सिविल एन्क्लेव के विकल्प के रूप में परिकल्पित किया गया था।

सीआईएएल को 30 मार्च, 1994 को 90 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। अगस्त, 1994 में स्थल पर निर्माण कार्य शुरू हुआ और भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 25 मई, 1999 को हवाई अड्डे का औपचारिक उद्घाटन किया गया। एयर इंडिया ने खाड़ी देशों के लिए पहली उड़ान प्रचालित की, जिसके साथ ही हवाईअड्डे पर वाणिज्यिक प्रचालन की शुरुआत हुई।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (ऐरा अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, सीआईएएल ने चतुर्थ नियंत्रण अवधि (2026-2031) के लिए वैमानिक सेवाओं के टैरिफ निर्धारण हेतु प्राधिकरण के समक्ष अपना बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया। एमवाईटीपी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वित्त वर्ष 2022- वित्त वर्ष 2025 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और वित्त वर्ष 2026 के गैर-लेखापरीक्षित वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि का ट्रू-अप;

ii. 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर 31 मार्च, 2031 को समाप्त होने वाली चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अनुमान।

प्रस्तुतियों में यातायात अनुमानों, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), परिचालन व्यय (ओपेक्स), गैर- वैमानिक राजस्व (एनएआर) और अन्य संगत मापदंडों से संबंधित विस्तृत जानकारी शामिल हैं, जो चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारण का आधार बनती हैं।

प्रारंभिक आवेदन के बाद, सीआईएएल ने 6 अक्टूबर, 2026 तक विभिन्न पत्राचार के माध्यम से संशोधित वित्तीय मॉडल, अतिरिक्त सूचना और अद्यतन प्रस्तुतियाँ पेश की। इस परामर्श पत्र में निहित विश्लेषण और मूल्यांकन हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत की गई संशोधित प्रस्तुतियों और अद्यतन वित्तीय गणनाओं पर आधारित हैं।

प्राधिकरण ने इस परामर्श पत्र की तैयारी के दौरान सीआईएएल द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी प्रस्तावों और सहायक दस्तावेजों की व्यापक जांच की। इस मूल्यांकन में तृतीय नियंत्रण अवधि से संबंधित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की जांच शामिल थी। इस परामर्श पत्र को तैयार करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीआईएएल द्वारा प्रस्तुत गैर-लेखापरीक्षित वास्तविक वित्तीय विवरणों पर भी भरोसा किया गया।

तदनुसार, प्राधिकरण ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन के संबंध में चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के भाग के रूप में अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए यह परामर्श पत्र जारी किया है। प्राधिकरण हितधारकों से प्राप्त लिखित, साक्ष्य-आधारित टिप्पणियों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं पर विधिवत विचार करेगा और हितधारकों द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वैमानिक सेवाओं के लिए अंतिम टैरिफ आदेश जारी करेगा।

प्राधिकरण इस बात पर ज़ोर देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इसका पूर्णत: पालन करना जरूरी है। इसलिए हितधारकों से अनुरोध है कि वे अनिवार्यत: इस परामर्श -पत्र में निहित समय-सीमा के भीतर ही अपनी टिप्पणियां और इन-पुट दें। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह ध्यान देना आवश्यक है कि ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के संदर्भ में किसी नियंत्रण अवधि के टैरिफ़ आदेश के अंतर्गत निर्धारित की गई टैरिफ़ की वर्तमान नियंत्रण अवधि के दौरान समीक्षा और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यदि प्राधिकरण जनहित में और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक समझे।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 12 अक्टूबर, 2026 के **परामर्श पत्र संख्या 07/2026-27** पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत

ईमेल:director-ps@aera.gov.in, dirps-2@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in
प्रतिलिपि: secretary@aera.gov.in

हितधारक परामर्श बैठक :	**27.10.2026**
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:	**10.11.2026**
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:	**20.11.2026**

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां प्राधिकरण की वेबसाइट **www.aera.gov.in** पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

प्राधिकरण द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों का सार

अध्याय 2: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप

2.12.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए **तालिका 8** के अनुसार वास्तविक आंकड़ों के आधार पर यातायात को मानना।

2.12.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए **तालिका 35** के अनुसार वैमानिक पूंजीगत व्यय को मानना।

2.12.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए **तालिका 42 और तालिका 46** के अनुसार क्रमश: वैमानिक मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) को मानना।

2.12.4 तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए **तालिका 89** के अनुसार एफआरओआर को मानना।

2.12.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए **तालिका 82** के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

2.12.6 तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए **तालिका 92** के अनुसार वैमानिक करों को मानना।

2.12.7 तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए **तालिका 99** के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व के ट्रू-अप को मानना।

2.12.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए **तालिका 103** के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

2.12.9 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु तृतीय नियंत्रण अवधि तक 31.07 करोड़ रुपये की अधिक वसूली **(तालिका 106 के अनुसार)** को मानना।

अध्याय 3: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

3.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 113** के अनुसार यातायात पूर्वानुमानों को मानना।

3.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि में प्राप्त वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो) को ट्रू-अप करना।

अध्याय 4: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार(आरएबी)

4.10.1 **तालिका 163** के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक परिवर्धनों को मानना।

4.10.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय, वास्तविक आंकड़ों, लागत दक्षता और औचित्य के आधार पर वैमानिक परिवर्धनों को ट्रू-अप करना।

4.10.3 **तालिका 167** के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.10.4 अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर मूल्यह्रास को ट्रू-अप करना।

4.10.5 **तालिका 169** के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार को मानना।

4.10.6 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को ट्रू-अप करना।

4.10.7 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से परियोजना लागत की 1% राशि कम करना (समायोजित करना) जैसा कि पैरा 4.3.277 में उल्लेख किया गया है। चतुर्थ नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के दौरान अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, इसकी जांच की जाएगी।

4.10.8 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखांकन की जांच करना और अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के समय आवश्यक समायोजन करना।

अध्याय 5: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए उचित प्रतिलाभ दर (एफआरओआर)

5.3.1 **तालिका 172** में दिए गए विवरण के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए 11.39% एफआरओआर को मानना।

5.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को वास्तविक आंकड़ों (या) एसबीआई के औसत एक (1) वर्ष के एमसीएलआर प्लस पचास (50) बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय ट्रू-अप करना।

5.3.3 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को सीआईएएल द्वारा वहन की गई वास्तविक उधार लागतों के आधार पर ट्रू-अप करना जो उधार व्यवस्था की तर्कसंगत और लागू विनियामक सिद्धांतों की विवेकपूर्ण जांच के अधीन है।

अध्याय 6: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए भूमि पर प्रतिलाभ

6.3.1 प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के दौरान भूमि पर प्रतिलाभ की गणना के उद्देश्य से भूमि की वर्तमान लागत 125.00 करोड़ रुपये मानने का प्रस्ताव करता है।

6.3.2 प्राधिकरण का प्रस्ताव है कि चतुर्थ नियंत्रण अवधि के दौरान टैरिफ निर्धारण के प्रयोजनों के लिए पृथक पार्किंग बे के स्थानांतरण और कार्यनीतिक भूमि खरीद के लिए अधिग्रहित किए जाने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि की लागत को अग्रिम नहीं माना जाएगा। प्राधिकरण का यह भी प्रस्ताव है कि ऐसी भूमि पर प्रतिलाभ वहन की गई वास्तविक लागत और सीआईएएल द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर, जब भी भूमि का उपयोग विमानन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तब वहन किए गए व्यय के आधार पर माना जाएगा।

6.3.3 प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के दौरान मौजूदा भूमि परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की गणना के उद्देश्य से 86.80 प्रतिशत के वैमानिक आबंटन अनुपात को मानने का प्रस्ताव करता है।

6.3.4 प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के दौरान भूमि पर प्रतिलाभ की गणना के लिए ऋण की लागत 7.30 प्रतिशत मानने का प्रस्ताव करता है, जो भूमि पर प्रतिलाभ को नियंत्रित करने वाले लागू विनियामक सिद्धांतों के अनुसार है।

6.3.5 प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए 45.03 करोड़ रुपये के भूमि पर प्रतिलाभ को मानने का प्रस्ताव करता है, जो …. में दर्शाए अनुसार प्राधिकरण द्वारा मानी गई मौजूदा वैमानिक भूमि परिसंपत्तियों पर आधारित है।

अध्याय 7: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रास्फीति

7.3.1 **तालिका 176** के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रास्फीति दरों को मानना ।

अध्याय 8: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन खर्च

8.3.1 **तालिका 210** के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन खर्च को मानना ।

8.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन खर्च को औचित्य और दक्षता की शर्त पर ट्रू-अप करना।

अध्याय 9: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व (एनएआर)

9.3.1 **तालिका 229** के अनुसार कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना ।

9.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय **तालिका 229 में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित किए** अनुसार न्यूनतम सीमा तक, वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए एनएआर को ट्रू-अप करना।

अध्याय 10: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर

10.3.1 **तालिका 231** के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक करों को मानना।

अध्याय 11: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

11.3.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता के कारण कुल राजस्व अपेक्षा में किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

11.3.2 सीआईएएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोचीन में ऐसे कार्य निष्पादन मानकों का अनुपालन किया जाएगा, जिन्हें पैरा 11.2.11 में उल्लिखित अंतिम आदेश के अनुसरण में अधिसूचित किया जाए और प्रमुख हवाईअड्डों के लिए एक बार लागू कर दिया गया है।

अध्याय 12: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

12.8.1. **तालिका 238** के अनुसार सीआईएएल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा को मानना।

12.8.2. सीआईएएल को निदेश देना कि वह इस परामर्श पत्र के जारी होने के 7 दिन के भीतर बेसलाइन और वृद्धिशील दोनों एआरआर के अनुरूप वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) प्रस्तुत करे, जिसे हितधारकों के परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।

14. हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

14.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (4) के प्रावधान के अनुसार इस परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 13 – प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

14.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

14.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियां और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 10 नवंबर, 2026 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, **उड़ान भवन**,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.

(अध्यक्ष)